रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 59] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 17, 1984/अग्रहायण 26, 1906
No. 59] NEW DELHI, MONDAY, DEC. 17, 1984/AGRAHAYANA 26, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1984

का. आ. 157(अ).—निर्वाचन आयोग की दिनांक 15 अक्तूबर, 1984 की अधिसूचना संख्या 434/गुज./84(3) से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में मद संख्या 14 "[illegible] संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर" के सामने मौजूदा प्रविष्टि संख्यांक 8 के लिए अर्थात् "निदेशक, डी.आर.डी.ए., बनासकांठा जिला

पंचायत पालनपुर'' के स्थान पर ''निदेशक, डी.आर.डी.ए. बनासकंठा, जिला पालनपुर'' प्रतिस्थापित रखी जाए ।

[संख्या 434/गुज./84(3)]

आदेश से,

वी. के. राव, सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th December, 1984

O.N. 157(E).—In column 2 of the Table appended to the Election Commission's notification No. 434|GJ|84(3), dated 15th October, 1984, *for* the existing entry numbered 5, viz. 'Director DRDA. Banaskantha District Panchayat Palanpur' occurring against item 14 'Returning Officer of 14-Banaskantha Parliamentary constituency', *substitute* 'Director, DRDA Banskantha District, Palanpur'.

[No. 434|GJ|84(3)]

By Order,

V. K. RAO, Secy.

Election Commission of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984